ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176057 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री श्याम लाल	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सतीष कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत सुक्कड़ के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.95
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	26.66
3	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.19
4	8	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5	9.1	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	1.91
6	9.2	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.05
7	9.3	एम,एम0जी0पी0आई0 अनुदान के अन्तर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये मूल्यांकन से अधिक सामग्री खपत दर्शाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान करना	0.01
8	9.4	निर्माण कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके अधिक भुगतान करना	0.01
9	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	2.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/202 दिनांक–29.03.2025 द्वारा अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 7 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 10 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है,जो कि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता

को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष 10 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	4 (क)	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3	4 (ख)	अनिर्णीत	–
4	4.1	अनिर्णीत	–
5	4.2	अनिर्णीत	–
6	4.3, 4.4	अनिर्णीत	–
7	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
8	6	निर्णीत	अनुदानो के व्यय से सम्बन्धित संलग्न अभिलेख के दृष्टिगत
9	7 (क)	अनिर्णीत	–
10	7 (ख)	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹1000 की वसूली रसीद संख्या 160065 द्वारा करने उपरांत दिनांक 28.05.2025 को खाता संख्या 20129036261 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।
11	7 (ग)	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹800 की वसूली रसीद संख्या 160066 द्वारा करने उपरांत दिनांक 28.05.2025 को खाता संख्या 20129036261 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।
12	8.1	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेखों की पुष्टि उपरांत ।
11	8.2	अनिर्णीत	–
12	8.3	अनिर्णीत	–
13	9	अनिर्णीत	–

14	10	अनिर्णीत	—
15	11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
16	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत सुक्कड़ के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.05.2025 से 28.05.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	01/2025	12/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/359 दिनांक—28.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/339 दिनांकः—22.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	497413	34718.00	532131.00	122938.00	409193.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1646392.00	10466417.15	12112809.15	9446516.15	2666293.00

कुल योग (1+2) 409193.00+2666293.00 =**3075486**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹30,75,486 तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹28,80,741.90 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वयं स्रोत	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	20129036261	408238
2	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783303	420441.5
3	एस .डी.आर.एफ	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783722	118229
4	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055782173	371031
5	वी.एम.जे.एस.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783697	5537
6	एस.डी.पी.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783915	30898.4
7	वी.के.वी.एन.वाई.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783948	10473

8	एम.एम.जी.पी.वाई	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50075048943	64171
9	15वां वितायोग/ जिला परिषद/पचायत समिति	एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला	50100371685185	1450748
10	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व स्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			955
11	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (13 वां की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			20
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः—				₹2880741.9
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹3075486.00
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः—				₹2880741.90
अन्तरः—				**194744.10**

नोटः—अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.95 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सुक्कड़ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹194744. 10/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/340 दिनांकः—23.05.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPS/2025/62 दिनांकः—28.05.2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यो की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका था अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0, मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी.पी	71/10.12. 2024	374117/10.12. 2024	मुरम्मत/कम्पलीशन सामुदायिक केन्द्र वार्ड 5	12810
2	एस.डी. आर.एफ	65/12.12. 2024	मस्ट्रोल 19/2024–25	मुरम्मत रास्ता मेंन रोड से लेकर राणु राम के घर की ओर वार्ड 7	43820
3	15 वां वित	40,41/17. 12.2024	मस्ट्रोल 14/2024–25,2 58/01.11.2024	निर्माण नाली शिव मंदिर से पी. डबल्यू डी रोड की ओर वार्ड 7	40023
4	वी.के.वी. एन.वाई	69/18.12. 2024	374109/10.12. 2024	निर्माण जीपरोड रजिन्दर कुमार के घर से विनोद कुमार गौशाला की ओर वार्ड 5	33306
5	एस.डी.पी	70/12.12. 2024	374118/10.12. 2024	निर्माण रास्ता बाबडी की ओर वार्ड 2	20496
6	एस.डी.पी	74,75/18,	271,792/15,16.	इंटरलॉकिंग टाईल्स चिल्डन पार्क	75486

		24.12.2024	11.2024	गड सुक्कर वार्ड 2	

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानो से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/360 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹4,97,268 से ₹4,08,238 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है। उक्त आपति को अंकेक्षण विभाग द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के पैरा संख्या 5 के तहत भी उठाया गया, परन्तु पंचायत द्वारा इस एवज में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/360 दिनांकः 28.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPS/2025/62 दिनांक 28.05.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹26.66 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/339 दिनांकः–22.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹26,66,293/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	420441.00
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2025	10473.00
3	एस.डी.पी	31.03.2025	30899.00
4	एम.पी.लेड	31.03.2025	371031.00
5	एस.डी.आर.एफ	31.03.2025	118229.00
6	वी.एम.जे.एस	31.03.2025	5537.00
7	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2025	64171.00
8	सी. एम.आर.एफ	31.03.2025	194058.00
9	12वाँ वित्त	31.03.2025	121.00
10	13वाँ वित्त	31.03.2025	20.00
11	आर.ए. वाई	31.03.2025	565.00
12	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2025	1450748.00
		कुल जोड	**2666293**.00

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/341 दिनांक–23.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, शेष/अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.19/– की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/339 दिनांकः–22.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹118750/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया ,जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/346 दिनांकः–24.05.2025 द्वारा सूचित

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPS/2025/62 दिनांक:–28.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से सम्बन्धित मांग व सग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04/–लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना व सभा निधि में अनियमित जमा करने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/339 दिनांक:–22.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत सुक्कड़ द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹4000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु इस राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाकर सभा निधि में जमा करवाया गया था, जिससे सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/347 दिनांक:–24.05.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सुक्कड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPS/2025/62 दिनांक:–28.05.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत सूचित किया गया कि ,प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण की राशि ₹4000 को

सभा निधि में जमा करवाया गया, जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹1.91/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 12/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹191180/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/350 दिनांकः–27.05.2025 द्वारा आग्रह किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPS/2025/62 दिनांकः—28.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि ,उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 स्त्रोत पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.05/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा संविदाकार/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवाओं और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना **"परिशिष्ट -7"** अनुसार पाया गया कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत विभिन विकास कार्यों के लिये निम्नविवरणानुसार इंटरलॉकिंग टाइल्स के रूप में सामग्री प्राप्ति की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹5424/-** की कटौती (टीडीएस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	वा०/दिनांक	कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम	परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)	स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)
1.	परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०1 व 5)	मै०रियांशी इंटरप्राइजेज ढडम्ब शाहपुर	271215	5424.4 or say 5424

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/351 दिनांकः–27.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुक्कड़ को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की सामग्री क्रय की गई, जिस पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की पंचायत स्तर पर जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 एम.एम.जी.पी.वाई अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये मूल्यांकन से अधिक सामग्री खपत दर्शाने के फलस्वरूप ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

निर्माण कार्य रास्ता मेन रोड से भुरी राम के घर की ओर वार्ड–5 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाउचर सख्या 60 दिनांक 12.12.2024 द्वारा सीमेंट क्रय किया गया। माप पुस्तिका संख्या 0249 के पृष्ठ संख्या 17 व 18 में निर्माण सामग्री सीमेंट का निम्न तालिका के अनुसार निष्पादन कम किया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 374108 दिनांक 10.12.2024 के अनुसार सीमेंट 80 बैग क्रय किये गए थे। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹854/–** का अधिक भुगतान किया गया थाः–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1	एम.एम.जी.पी.वाई	सीमेंट बैग	80	78	2	427	854

वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–

1. Item-3 P/L(1:3:6)-17.63m3X4.40(Cement Factor)=**77.57or say 78 Bags**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/355 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान बारे तथ्यो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है माप–पुस्तिकाओं में उच्च तकनीकी अधिकारियों के परीक्षण जांच उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 निर्माण कार्य के लिय मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

वाउचर संख्या 35 दिनांक 17.12.2024 व निर्माण कार्य नाली दुर्गा प्रसाद के घर से किशोरी लाल के घर की ओर वार्ड–2 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण में पाया गया कि, निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 0249 के पृष्ठ संख्या 7,8,9 में मद शंटरिंग के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु ,अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा भुगतान न करके अधिक दर द्वारा **₹1481/–** का अधिक भुगतान किया गयाः–

क्र0 सं0	अनुदान	मद	निष्पादित मात्रा	माप पुस्तिका में भुगतान हेतु दर्शाई गई दर	अनुमोदित प्राक्कलन दर (₹)	अंतर	अधिक भुगतान राशि (₹)
1.	15वां वित	Item-6 Form shuttering work for rough gave surface etc	2x2x20x.35= 28m2 2x2x15x.30= 18m2 Or say 46m2	84.35	52.15	32.2	1481

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/356 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु अनुमोदित प्राक्कलन दर द्वारा न करके अधिक राशि का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि माप–पुस्तिकाओं में उच्च तकनीकी अधिकारियों के अनुमोदन/सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.5 15वें वित्त अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु गलत गणना द्वारा मूल्यांकित राशि से ₹498/–का अधिक भुगतान करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

वाउचर संख्या 37 दिनांक 17.12.2024 के नमूना अंकेक्षण के दौरान ,निर्माण कार्य रास्ता लेख राज की जमीन से लेकर सुमन की जमीन की ओर इंटरलाकिंग टाईल्स वार्ड 7 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 0249 के पृष्ठ संख्या 10 व 11 में करवाये गये निर्माण कार्य के लिये, मजदूरी भुगतान करने हेतु, गलत गणना द्वारा वास्तविक मूल्याकिंत राशि से निम्नविवरणानुसार ₹498 का अधिक भुगतान किया गयाः–

वास्तविक मूल्यांकित राशि/अपेक्षित भुगतान (₹)	माप पुस्तिका में दर्शाई गई राशि (₹)	मस्ट्रोल संख्या	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
Total of all items after deduction of CF and labour enhancement i.e(1 to 4)= 17466	17868	20/2024-25	17964	498

इस अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/357 दिनांकः–28.05.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(1)(सी) के अनुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹2.09/–लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 12/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹2,09,117/**–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	**वाउचर सं/ दिनांक**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**	**वांछित अभिलेख**
1.एस.डी. पी	71/ 10.12.2024	374117/10.12. 2024	मुरम्मत/कम्पलीशन सामुदायिक केन्द्र वार्ड 5	12810	माप–पुस्तिका, प्रारूप 34
2.एस.डी. आर.एफ	65/ 12.12.2024	मस्ट्रोल 19/2024–25	मुरम्मत रास्ता मेंन रोड से लेकर राणु राम के घर की ओर वार्ड 7	43820	माप–पुस्तिका, प्रारूप 34
3.15 वां वित	40,41/ 17.12.2024	मस्ट्रोल 14/2024–25,2 58/01.11.2024	निर्माण नाली शिव मंदिर से पी.डबल्यू डी रोड की ओर वार्ड 7	40023	माप–पुस्तिका, प्रारूप 34
4.मनरेगा	निल/06, 21.12.2024	मस्ट्रोल 4048,4049,4510, 4511	नवीनीकरण कुल्ह मस्या देवी के घर से सोम दत की जमीन की ओर वार्ड 6	48616	माप–पुस्तिका, प्रारूप 34
5.मनरेगा	निल/ 09.12.2024	मस्ट्रोल 4054	भुमि सुरक्षा हेतु कार्य राज कुमार की जमीन वार्ड 1	2596	माप–पुस्तिका
6.मनरेगा	निल/	मस्ट्रोल 4514	निर्माण गौशाला सुरिन्दर	3304	माप–पुस्तिका

	21.12.2024		कुमार पुत्र माधों राम वार्ड 7		
7.मनरेगा	निल / 21.12.2024	मस्ट्रोल 4515	निर्माण गौशाला रूप लाल पुत्र जैसी राम वार्ड 7	2596	माप–पुस्तिका
8.मनरेगा	निल / 21.12.2024	मस्ट्रोल 4517	निर्माण गौशाला कुलदीप पुत्र साहव राम वार्ड 5	6608	माप–पुस्तिका
9.मनरेगा	निल / 06.12.2024	मस्ट्रोल 4057	निर्माण गौशाला उमा कान्त पुत्र मेहर चन्द वार्ड 5	7080	माप–पुस्तिका
10.मनरेगा	निल / 21.12.2024	मस्ट्रोल 4491,4492	कुल्ह सुभाष चन्द व माधों राम की जमीन से शशि की जमीन की ओर वार्ड 6	41664	माप–पुस्तिका
			कुल योग	**209117**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत सुक्कड़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/354 दिनांकः–27.05.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांक 28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना तथा नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि•प्र• पंचायती राज नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुक्कड़ द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस

कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:–

क्र•स•	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	एस.डी.पी	63/12.12.2024	17/2024–25	11512
2	एस.डी.पी	64/12.12.2024	18/2024–25	22068
3	एस.डी.आर.एफ	65/12.12.2024	19/2024–25	43820
4	15वां वित	66/12.12.2024	16/2024–25	14364
5	15वां वित	40/17.12.2024	14/2024–25	19268
6	15वां वित	35/17.12.2024	13/2024–25	34728
7.	15वां वित	37/17.12.2024	20/2024–25	17964

2.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

3.क्र•स• 7 पर दर्शाए गए मस्ट्रोल पर मजदूरी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे इस इन मजदूरों की उपस्थिति भी सन्देहजनक व प्रश्नात्मक है।

उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/358 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांक 28.05.2025 द्वारा स्पष्ट करवाया कि मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "6 व 7"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि, निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के संबंध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/360 दिनांक:– 28.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुक्कड़ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPS/2025/62 दिनांक:–28.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्यों के प्रपत्र 34 को भी तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/339 दिनांकः–22.05.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	माँग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

12	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर / बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर / स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 339 दिनांकः–22.05.2026 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPS/2025/62 दिनांकः–28.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

15.1 पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान करने बारे।

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक

को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धनराशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

चयनित माह 12/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि, पंचायत सदस्य को निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	मीटिंग/मस्ट्रोल दिनांक जिसका भुगतान किया गया	मस्ट्रोल संख्या	राशि जिसकी वसूली की गई (₹)
1	25.11.2024	4052	750

उक्त की वसूली रसीद संख्या 160067 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20129036261 में दिनांक 28.05.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

अतः ऐसे मामलों की पुनरावृति पर निर्देशानुसार अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं।

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2024–25 के मास 12/2024 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत सुक्कड़ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत सुक्कड़ के चयनित मास 12/2024 के विभिन्न अनुदानों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति
4594—4598 21 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)397/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

FINANCIAL POSITION OF GP SUKKAR BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176057 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	497413	34718.00	532131.00	122938.00	409193.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1646392.00	10466417.15	12112809.15	9446516.15	2666293.00

Note :- It is certified that the Opening Balance of Sabha NIshi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAU
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA, H.P

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

25

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SUKKAR FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5THSFC	2024-25	438218	485199.00	923417.00	502976.00	420441.00
2	VKVNY	2024-25	9401.00	149172.00	158573.00	148100.00	10473.00
3	SDP	2024-25	101304.00	598433.00	699737.00	668838.00	30899.00
4	MPLADS	2024-25	95420.00	753598.00	849018.00	477987.00	371031.00
5	SDRF	2024-25	151558.00	410955.00	562513.00	444284.00	118229.00
6	VMJS	2024-25	5373.00	164.00	5537.00	0.00	5537.00
7	MMGPY	2024-25	60007.00	296452.00	356459.00	292288.00	64171.00
8	CMRF	2024-25	194058.00	0.00	194058.00	0.00	194058.00
9	TFC	2024-25	121.00	0.00	121.00	0.00	121.00
10	THFC	2024-25	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
11	RAY	2024-25	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00
12	SBM	2024-25	0.00	354988.00	354988.00	354988.00	0.00
13	15TH FC	2024-25	590347.00	1802137.00	2392484.00	941736.00	1450748.00
14	MNREGA	2024-25	0.00	5615319.15	5615319.15	5615319.15	0.00
Total:-			1646392.00	10466417.15	12112809.15	9446516.15	2666293.00

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

The head THFC shown Cash in Hand Rs 20/- as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAU
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA, H.P

26

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत सुक्कड़ विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176057

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत सुक्कड़ के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03-2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	20129036261	497268	408238
02	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783303	438218.5	420441.5
03	एस .डी.आर.एफ	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783722	151558	118229
04	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055782173	95420	371031
05	वी.एम.जे.एस.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783697	5373	5537
06	एस.डी.पी.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783915	101303.4	30898.4
07	वी.के.वी.एन.वाई.	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50055783948	9401	10473
08	एम.एम.जी.पी.वाई	के. सी .सी. बैंक दाड़ी	50075048943	60007	64171
09	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	एच.डी.एफ.सी बैंक धर्मशाला	50100371685185	660747	1450748
10	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			145	955
11	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (13thFC की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			20	20
			कुल योग	2019460.9	2880741.9

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAD
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA, H.P

27

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत सुक्कड़ विकास खंड धर्मशाला जिला कॉंगड़ा हि.प्र.1766057

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत सुक्कड़ में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 846 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	76950	846	50	42300	119250	500	118750

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAD
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA H.P

28

परिशिष्ट " 5 " (पैरा संख्या-8)

ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला,प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
1	अतुल ठाकुर स्पुत्र रविन्द्र ठाकुर	18/04/2024	26/04/2024	195853	200	200	0	
2	विक्की स्पुत्र भगवन दास	18/04/2024	15/05/2024	195859	200	200	0	
3	रजत कुमार स्पुत्र सुरेश कुमार	7/3/2024	27/05/2024	195863	400	400	0	
4	अजय कुमार स्पुत्र प्रीतम चन्द	26/09/2023	5/8/2024	195874	400	400	0	
5	अजय कुमार स्पुत्र किशोरी लाल	19/07/2024	7/8/2024	195875	200	200	0	
6	नवीन कुमार स्पुत्र स्वरुप	22/07/2024	12/8/2024	195876	200	200	0	
7	पुनीत कुमार सपुत्र प्रकाश चन्द	7/10/2024	18/10/2024	195890	200	200	0	
8	विपन कुमार स्पुत्र किशोरी लाल	3/10/2024	21/10/2024	195893	200	200	0	
9	अंकित ठाकुर स्पुत्र कृष्ण चन्द	22/10/2024	11/12/2024	160015	400	400	0	
10	सुमित शर्मा स्पुत्र दीवान चन्द	17/11/2024	1/1/2025	160023	400	400	0	
11	शन्दुल चौधरी स्पुत्र अनिल कुमार	21/10/2024	15/01/2025	160030	400	400	0	
12	अजय कुमार सपुत्र नेक सिंह	7/12/2024	27/1/2025	160032	400	400	0	
13	नितेश कल्यानियाँ स्पुत्र नरेश कुमार	21/01/2025	10/2/2025	160037	200	200	0	
14	अजय कुमार स्पुत्र अशोक कुमार	4/2/2024	15/02/2025	160038	200	200	0	
	Total:-				4000	4000		

PRADHAN   SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAD
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA, H.P

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

29

30

परिशिष्ट–6 पैरा संख्या–"9.1"

कार्यालय ग्राम पंचायत सुक्कड विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगड़ा द्वारा हि0प्र0 –176057 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	SDP	74/18.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	271/16.11.2024	SNAD	250	55.00	13750.00
					BAZRI	250	50.00	12500.00
2	SDP	76/24.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	273/16.11.2024	SNAD	400	55.00	22000.00
					BAZRI	350	50.00	17500.00
3	MMGPY	78/24.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	270/16.11.2024	SNAD	250	55.00	13750.00
					BAZRI	240	50.00	12000.00
4	15TH FC	41/17.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	258/01.11.2024	SAND	85	55.00	4675.00
					BAZRI	165	50.00	8250.00
					BOULDER	120	35.00	4200.00
5	15TH FC	43/17.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	272/16.11.2024	SNAD	390	55.00	21450.00
					BAZRI	320	50.00	16000.00
6	15TH FC	36/17.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	257/16.11.2024	SNAD	115	55.00	6325.00
					BAZRI	232	50.00	11600.00
					BOULDER	148	35.00	5180.00
7	15TH FC	38/17.12.2024	M/S AJAY GOODS CARRIER MATT DHAGWAR	269/14.11.2024	SNAD	200	55.00	11000.00
					BAZRI	220	50.00	11000.00
							कुल योग	191180.00

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAD
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA, H.P

30

परिशिष्ट -07 (पैरा संख्या "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत सुक्क्ड़ विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176057

जी.एस.टी/टीoडीoएसo/की कटौती न करने से सरकारी कोष को सम्भावित राजस्व हानि

क.स.व अनुदान	वाचर स. /दिनांक	फर्म का नाम	बिल स. /दिनांक	समग्री	राशि
1.SDP	75/24.12.2024	M/S RIYANSHI ENTERPRISES DODHAMB SHAHPUR	792/15.11.2024	Interlocking tiles (60mm,m2)	49245
2.SDP	77/24.12.2024	M/S RIYANSHI ENTERPRISES DODHAMB SHAHPUR	790/15.11.2024	Interlocking tiles (60mm,m2)	57330
3.MMGPY	79/24.12.2024	M/S RIYANSHI ENTERPRISES DODHAMB SHAHPUR	791/15.11.2024	Interlocking tiles (60mm,m2)	44100.00
4.15TH FC	44/18.12.2024	M/S RIYANSHI ENTERPRISES DODHAMB SHAHPUR	794/15.11.2024	Interlocking tiles (60mm,m2)	76440.00
5.15TH FC	39/17.12.2024	M/S RIYANSHI ENTERPRISES DODHAMB SHAHPUR	795/15.11.2024	Interlocking tiles (60mm,m2)	44100.00
				TOTAL	**271215**

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SUKAD
DEV BLOCK KANGRA, KANGRA H.P